


03/09/2025

अपनी आज के दिन। प्रकरण में अधिवक्ता
अपीलेट द्वारा अपीलेट को उचित किये गये पेजील
सम्पन्न की प्रति केरा कर यह निवेदन किया कि
अपीलेट उनके संपर्क में नहीं है। प्रकरण में न
ले अपीलेट का मोबाइल नंबर अंकित है एवं व
ही रजिस्टर्ड पता अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण
के संबंध में अपीलेट से संपर्क किया जाना संभव
नहीं है। अतः पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरामी
में धारिज की पाली है। पत्रावली फ़ैसल सुधार
होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व दृष्टर है।



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली